संख्याः आईसीएमआर/भर्ती एवं पदोन्नति कक्ष/पदोन्नति/वरि.प्रशा.अधि./2025

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

दिनांक : 09.06.2025

<u>कार्यालय आदेश</u>

विषय: परिषद में वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

****

डीपीसी (समूह 'ए') की सिफारिशों के आधार पर एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार निम्नलिखित प्रशासन अधिकारियों (वर्तमान में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी के रूप में कार्यरत) को नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर - 11 (रु. 67,700-2,08,700) में वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्रं.सं.	नाम	वर्तमान में कार्यरत संस्थान/केंद्र का नाम	पदोन्नति पर तैनाती का स्थान	टिप्पणी
1.	श्रीमती ए. गौसिया बेगम सुहैल (Smt. A. Gousia Begum Suhail)	एनआईई चेन्नई	एनआईई चेन्नई	**उनकी पदोन्नति पदोन्नत का कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से लागू होगी**
2.	श्री एन.एम. रमेशा (Shri N.M. Ramesha)	एनआईआरबीआई कोलकाता	एनआईआरबीआई कोलकाता	
3.	श्री रामय्या डोरा च.के (Shri Ramayya Dora Ch.K)	एनआईआईआरएनसीडी जोधपुर	एनआईआईआरएनसीडी जोधपुर	
4.	श्री योगेश कुमार (Shri Yogesh Kumar)	परिषद मुख्यालय	परिषद मुख्यालय	

2. उन्हें इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर नियमित आधार पर पदभार ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति देने और इस आदेश के जारी होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का निदेश दिया जाता है। यदि उनसे 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है और पदोन्नति आदेश अतिरिक्त सूचना दिए बिना स्वतः ही रद्द हो जाएगा। स्वीकृति प्रस्तुत करने या पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय बढाने का अनुरोध किन्हीं बाध्यकारी आधारों को छोड़कर, स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. वे परिषद के नियमों के अनुसार भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. उनका वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग और सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 की सिफारिशों के अनुसार तय किया जाएगा।

5. पदोन्नत व्यक्ति को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर यह विकल्प देना होगा कि वे अपना वेतन नए पद पर निर्धारित वेतन लेंगे या वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से वेतन लेंगे या 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के पिछले वेतन स्तर में अगली वेतन वृद्धि की तारीख से लेगें।

6. यदि वे अपनी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं, तो वे तब तक आगे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, जब तक कि वे पुनः पदोन्नति पर विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं हो जाते।

7. निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने में असफल होने की स्थिति में, उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा और डीओपीटी के दिनांक 1 अक्टूबर 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/81-स्था.(डी) के अनुसार, वंचित अवधि के दौरान पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।

8. पदोन्नत हुए वरिष्ठ प्रशासन अधिकारियों में सबसे कनिष्ठ होने के नाते श्री योगेश कुमार की पदोन्नति श्री राज कुमार, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी द्वारा दायर ओए संख्या 1669/2023 का अंतिम निर्णय आने और न्यायलय में लंबित अन्य किन्हीं मामलों के अधीन है, यदि कोई हुए, तो।

9. वे परिषद के तहत सेवा की सामान्य शर्तों और नियमों द्वारा शासित होंगे और परिषद के अधीन अपनी पिछली सेवा के सभी लाभ आगे भी प्राप्त करेंगे।

रीमा शर्मा

(रीमा शर्मा)
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

<u>सभी संबंधित अधिकारी (04)</u>

प्रतिलिपिः-

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार, के निजी सचिव
2. **संबंधित संस्थान के निदेशक /सहा. महानिदेशक(प्रशा.),मुख्यालय-** से अनुरोध है कि वे पदोन्नत व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण करने/पदभार ग्रहण करने की रिपोर्ट/पदोन्नति से इनकार करने की सूचना यदि कोई हो, तो कृपया उसकी सूचना स्थापना अनुभाग, परिषद मुख्यालय को ई-मेल **admin1.hq@icmr.gov.in** पर तुरंत भेजी जाए।
3. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/ सहा. महानिदेशक(प्रशा.)/ सहा. महानिदेशक(वित्त)
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी/बिल अनुभाग, परिषद मुख्यालय
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी(आरक्षण कक्ष), परिषद मुख्यालय
6. सतर्कता/लेखा - VI अनुभाग/विधि कक्ष, परिषद मुख्यालय
7. नोडल अधिकारी, आरटीआई डेस्क, परिषद मुख्यालय
8. नोडल अधिकारी, ई-गवर्नेंस सेल, परिषद मुख्यालय
9. बजट/गार्ड फ़ाइल/वेतन वृद्धि/वरिष्ठता फ़ाइल।